



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082020-221350
CG-DL-E-26082020-221350

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 423]
No. 423]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 2020/भाद्र 4, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2020/BHADRA 4, 1942

पोत परिवहन मंत्रालय
(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 529(अ).—केंद्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित, धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नव मंगलूर पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा धारा 28 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तैयार किए गए तथा उक्त अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (i) के खंड (क) के तहत यथा अपेक्षित प्रकाशित किए गए नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2020 को एतद्वारा अनुमोदित करती है जिन्हें इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्धारित किया गया है।

2. यथा अनुमोदित उक्त संशोधित विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाएंगे।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नव मंगलूर पत्तन न्यास का न्यासी मंडल एतद्वारा नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) विनियम, 2009 को आगे संशोधित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः—

1. (1) इन विनियमों को नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम केंद्र सरकार के अनुमोदन से भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाएंगे।

2. नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2009 में “सामान्य प्रशासन विभाग के तहत विधि प्रभाग के श्रेणी-I पदों हेतु भर्ती नियम” शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची में विधि अधिकारी के पद से संबंधित क्रम सं.-1 के सामने कॉलम 12 में प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी नामतः-

“ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ अध्यक्ष द्वारा यथा निर्धारित अर्हक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले की, विधि प्रभाग में विधि सहायक से 36500-88700/-रु. (पूर्व संशोधित 6170-11975 रु.) के वेतनमान में पदोन्नति”

पाद टिप्पण: मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 6 फरवरी, 2009 को सा.का.नि. सं. 77(अ) द्वारा संशोधित किए गए तथा बाद में निम्नलिखित संख्याओं द्वारा अधिसूचित किए गए-

- (i) सा.का.नि. 393 (अ), दिनांक 16 मई, 2014;
- (ii) सा.का.नि. 626 (अ), दिनांक 28 अगस्त, 2014;
- (iii) सा.का.नि. 645 (अ), दिनांक 30 जून, 2016;
- (iv) सा.का.नि. 655 (अ), दिनांक 01 जुलाई, 2016;
- (v) सा.का.नि. 213 (अ), दिनांक 9 मार्च, 2017;
- (vi) सा.का.नि. 777 (अ), दिनांक 14 अगस्त, 2018;
- (vii) सा.का.नि. 971 (अ), दिनांक 4 अक्तूबर, 2018; और
- (viii) सा.का.नि. 234 (अ), दिनांक 25 मार्च, 2019।

[फा. सं. पीआर-24021/3/2020-पीई-I]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PHRD DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2020

G.S.R. 529(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2020 made by the Board of Trustees of the New Mangalore Port Trust in exercise of the powers under section 28 and published by it as required under clause (a) of sub-section (1) of section 132 of the said Act as set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations as approved shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the New Mangalore Port Trust hereby makes the following regulations further to amend the New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009, namely:-

1. (1) These regulations may be called the New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force from the date of publication of the approval thereto by the Central Government in the Official Gazette.

2. In the New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009, in the Schedule under the heading “RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF LEGAL DIVISION UNDER THE GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT”, against serial number 1 relating to the post of Law Officer in column 12, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Promotion from Legal Assistant in the scale of pay of Rs. 36500-88700/- (pre-revised Rs. 6170-11975/-) in the discipline of Legal Division with 5 years regular service in the grade and have passed the qualifying departmental examination as prescribed by the Chairman.”

Footnote: The Principal regulations were published in the Gazette of India *vide* G.S.R. number 77(E), dated the 6th February, 2009 and was subsequently amended *vide*-

- (i) GSR No. 393 (E), dated the 16th May, 2014;
- (ii) GSR No. 626 (E), dated the 28th August, 2014;
- (iii) GSR No. 645 (E), dated the 30th June, 2016;
- (iv) GSR No. 655 (E), dated the 01st July, 2016;
- (v) GSR No. 213 (E), dated the 9th March, 2017;
- (vi) GSR No. 777 (E), dated the 14th August, 2018;
- (vii) GSR No. 971 (E), dated the 4th October, 2018; and
- (viii) GSR No. 234 (E), dated the 25th March, 2019

[F. No. PR-24021/3/2020-PE-I]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.